भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3966

जिसका उत्तर 17 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

कोयले का आयात

3966. श्री जी॰ एम॰ सिद्देश्वराः
श्री रामदास तडसः
श्री रवि किशनः

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कोयले के आयात पर अत्यधिक निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या सरकार का आगामी तीन वर्षों के दौरान विद्युत के उत्पादन में आयातित कोयले का उपयोग करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) क्या मंत्रालय आयातित कोयले की मात्रा में वृद्धि के संबंध में पोत परिवहन मंत्रालय के साथ चर्चा कर रहा है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) और (ख): देश में कोयले की मांग कोयले की आपूर्ति के मौजूदा स्तर की तुलना में अधिक है। कोयले की मांग-आपूर्ति में अंतर समाप्त करने हेतु कोयले की घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए सभी प्रयास किए गए हैं। कोयले का उत्पादन वर्ष 2013-14 में 565.77 मि.ट. से बढ़कर 2018-19 में 730.35 मि.ट.(अनंतिम) हो गया है। अखिल भारत कोयला उत्पादन में 2008-09 और 2013-14 के बीच 73.01 मि.ट. की वृद्धि की तुलना में 2013-14 से 2018-19 के बीच 164.58 मि.ट. की पर्याप्त वृद्धि हुई है। बढ़े हुए उत्पादन को देखते हुए कोयले के आयात 2014-15 में 217.78 मि.ट. के स्तर से गिरकर 2015-16 में 203.95 मि.ट. और 2016-17 में 190.95 मि.ट. रह गया है। तथापि, इसके बाद कोयले का आयात 2017-18 में बढ़कर 208.27 और 2018-19 में और बढ़कर 235.24 मि.ट. हो गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान कोयले की 969.46 मि.ट. की कुल वास्तविक मांग की तुलना में घरेलू आपूर्ति 734.23 मि.ट. (अनंतिम) थी, कोयले का आयात 235.24 मि.ट. (अनंतिम) और आयातित कोयले का मूल्य 170881 करोड़ रु. था।

(ग) और (घ): आयातित कोयले पर डिजाइन किए गए और निर्भर संयंत्र अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का आयात कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ घरेलू कोयला आधारित

संयंत्र भी ब्लेंडिंग के प्रयोजनार्थ कोयले का आयात करते हैं। इसके अतिरिक्त, तटीय विद्युत संयंत्र अपनी आर्थिक लागत मितव्ययिता पर विचार करते हुए कोयले का आयात करते हैं। ये आयात निकट भविष्य में जारी रहने की संभावना है। कोयले का मूल्य, कोयले की गुणवत्ता, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, स्रोत देश आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है और इसलिए आयातित कोयले की भावी लागत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ड़): चूंकि कोयले का आयात खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के अंर्तगत है, अतः कोयला मंत्रालय घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा कोयले के आयात और इसकी ढुलाई में हस्तक्षेप नहीं करता।

****